

उच्च न्यायालय : मध्यप्रदेश : जबलपुर

//आदेश//

क्रमांक C/344 /

जबलपुर, दिनांक 08 / फरवरी, 2022

श्रीमती अंकिता द्विवेदी, वाटरमेन, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य,, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर को पात्रतानुसार दिनांक 20.10.2021 से दिनांक 18.01.2022 तक 90 दिन का प्रसूति अवकाश (संवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है । प्रसूति अवकाश पश्चात आवेदिका दिनांक 19.01.2022 को कर्तव्य पर उपस्थित न होने से दिनांक 19.01.2022 से आगामी आदेश तक वेतन का भुगतान रोका जाता है एवं दिनांक 19.01.2022 का प्रस्तुत अवकाश आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है ।

सही/-

(प्रियदर्शन शर्मा)

रजिस्ट्रार (प्रशासन)

पृष्ठांकन क्रमांक C/345 /

जबलपुर, दिनांक 08 / फरवरी, 2022

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसीपल सिस्टम एनालिस्ट, (एस.ए.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय म.प्र. की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे.),लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सहायक सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकाल/वेतनपत्रक), उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टाइपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर.
5. श्रीमती अंकिता द्विवेदी, वाटरमेन, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित के सदस्य उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

१